

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज अदालत..... मुकाम.....

बनाम .....  
गोना राम काना राम वसोरा

किस्म मुकदमा ..... नं. 111/128 नं. 10 सन् 2019  
राजस्थान कायदेन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/11/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... कुम्भार सिंह चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111/128</p> <p>राजस्थान कायदेनकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 4/2/2019 को पेश हो।</p>	<p>10 10/11/2019</p>
04/02/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल किये जाते जिसे तामिल पत्रावली दीया गया। अप्रार्थीगण का बहुर तामिल किये उपस्थित। सीमान्त परामर्श अधिवादी द्वारा कार्य के सम्बन्ध में ले मिगल इल्लवा द्वारा आगामी दिनांक 10/04/19 को पेश हो।</p>	
10/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण का बहुर तामिल किये उपस्थित। न्यायालय में समस्त तीन बार का वाज लगाई गई। अन्तिम का वाज 5.45 pm पर लगाई गई। अप्रार्थीगण स्वयं आ उन्के विरुद्ध अधिवक्ता को उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उन्के विरुद्ध एडवोकेट का मवादी समल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडवोकेट बहुर उनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता</p>	

ने अलाभा की जर्घी को अपने खातेदारी खेती के  
चारों कोर पक्के नैयम स्थापित करवाना आवश्यक  
है। इसलिए जर्घी को नैयमवनी कावेदन स्वीकार  
हीमा जाइए नैयमवनी कावेदा हीमा जावे।

कतः जर्घी कश्चिक्ता के निवेदन पर  
जर्घी को नैयमवनी कावेदन स्वीकार हीमा जाइए  
तदमीलाइए हाथुड को इमिशन निमुक्त हीमा जाइए  
व कावेदा रिमा जाइए है कि काय स्वयं मा अपने  
कश्चिक्ता विरी मा भू कश्चिक्ता निरिक्ता के जर्घी  
के खातेदारी खेती की पक्की नैयमवनी मोड़े पर  
कुलुड जमाइराइए है, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर  
कामिल पजावली है, पजावली कामल कुमार ही इज  
नम्बर के 85 है, दायिल इफ्तर डीके  
10.4.2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 145

दिनांक:- 10/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गेनाराम पुत्र केसराराम  
जाति जाट निवासी सेवनियाला  
तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. कानाराम पुत्र केसराराम जाति जाट वगैरा 17  
निवासी सेवनियाला  
तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 10/19

आदेश

मौजा सेवनियाला पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 291 रकबा 0-08 बीघा व खसरा संख्या 421/292 रकबा 89-13 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भूअ.निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक/वाद/2019/ 146-150

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री गेनाराम पुत्र केसराराम
4. विप्रार्थीगण कानाराम पुत्र श्री केसराराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

दिनांक:-

10/4/19  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

10/4/19  
उपखण्ड अधिकारी बायतु